संख्या:99/2016/429/35-4-2016

प्रेषक,

जे. बी. सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आजमगढ़

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:21 मार्च,2016

विषय : वर्ष 2015-16 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आजमगढ़ में शासनादेश संख्या-113(1)/35-4-2014 दिनांक 21 जनवरी, 2014 के द्वारा **आजमगढ़ शहर की विद्युत व्यवस्था को भूमिगत किये जाने से सम्बन्धित परियोजना** को रू. 7228.00 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 2891.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। जिलाधिकारी के पत्र संख्या:122/त्व0आ0वि0यो0/2013-14 दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा उक्त स्वीकृत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उक्त परियोजना की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू. 2891.00 लाख (रूपये अट्ठाईस करोड़ इक्यान्वे लाख मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 21 जनवरी,2014 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।
2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही अवशेष धनराशि आहरित कर बैंक/□ाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी ।
3- प्रश्नगत धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी आजमगढ़ की अनुमति से आहरित कर प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 को उपलब्ध कराई जायेगी।
4- इस शासनादेश से उक्त कार्य के लिए द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि का आवं□न किया गया है। कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5- स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2016 तक पूर्णरूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2016 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2016 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2016 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।
7- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-05-संचरण तथा वितरण-800-अन्य व्यय-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-01-विद्युत वितरण/विद्युत केन्द्र/ विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे □ाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च,2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे. बी. सिंह)
विशेष सचिव

संख्या:99/2016/429(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग ।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण□लायुक्त, आजमगढ़।
7- मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमि□□, लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमि□□।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
10-गार्□ फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आजमगढ़।

आज्ञा से ,

(जे. बी. सिंह)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in